

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1145 /

जबलपुर, दिनांक 6/3/2019

श्रीमती नीलू दुबे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 07.01.19 से 14.01.19 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15.01.19 से 13.07.19 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही /—  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1146 /

जबलपुर, दिनांक 6/3/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. श्रीमती नीलू दुबे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपेश तिवारी)  
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)